स्पेशल टॉस्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ

प्रेस नोट संख्याः 205, दिनाकः 14—07—2024

150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा (अन्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपय) की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को एस0टी0एफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार

दिनाकः 14—07—2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को 150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये) की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को थाना जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1— विश्वजीत बेहरा पुत्र प्रमोद बेहरा निवासी काठागढा, थाना डेकानाल, जिला डेकानाल, उड़ीसा

2— ज्ञाना रंजन बाघ पुत्र गणेश बाघ निवासी हरिकृष्णपुर, थाना ईट्ामाटी जिला नयागढ, उड़ीसा

बरामदगी—

1— 150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा। (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)
2— 01 अदद डीसीएम नं0—OD 05 BL 0275
3— 01 अदद मोबाइल फोन।
4— नगद 1500/— रूपये ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय— बकेबर बार्डर पर ताज ढावा के सामने मुगल रोड हाइवे, दिनॉकः 14—07—2024 समयः 11:20 बजे ।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनो से विभिन्न माध्यमो से निरन्तर यह सूचनाये प्राप्त हो रही थी कि उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य पुनः सक्रिय हो गये हं, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में भारी मात्रा मे अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले हैं। इस सूचनाओ को विकसित कर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, कानपुर के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद यादव एवं मु0आ0 अशोक राजपूत द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभूिसचना संकलन के दौरान दिनांकः 14—07—2024 को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य अवैध मादक पदार्थ गांजा की एक खेप लेकर उड़ीसा से लाकर फतेहपुर के जहानाबाद में किसी व्यक्ति को देने आने वाले हैं। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की एक टीम मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस की मदद से थाना जहानाबाद क्षेत्रार्न्तगत बकेबर बार्डर पर ताज ढावा के सामने मुगल

रोड हाइवे पर घेराबन्दी कर वाहनों की चैकिंग की गयी तो डीसीएम नं0–OD 05 BL 0275 से 150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उड़ीसा के अंगुल स्थान से हरियाणा के हिसार हेतु स्क्रैप कागज को लोड कराकर गाड़ी को गाड़ी स्टैण्ड में खड़ा कर दिया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाले सुनील बेहरा द्वारा उक्त अभियक्तों से सम्पर्क कर पैसों का लालच देकर उक्त गॉजे को फतेहपुर के किसी राजेश नाम के व्यक्ति को देने हेतु कहा गया एवं सुनील बेहरा द्वारा इस कार्य हेतु उपरोक्त अभियुक्तों को 30000 हजार रूपये का भुगतान फतेहपुर के राजेश द्वारा करना बताया गया था।

पूछताछ में यह भी बताया कि सुनील बेहरा द्वारा कहा गया था कि तुम लोग जैसे ही बनारस पार करोगे तुम्हे माल कहॉ उतारना है, बता दिया जायेगा। सुनील द्वारा उन लोगों को बताया गया कि जहानाबाद नदी पार करने के बाद एक व्यक्ति आयेगा एवं गाड़ी से अपना माल ले लेगा और तुम्हे 30000/–रूपये दे देगा। हम लोग यहॉ उसी गॉजा को देने हेतु आ रहे थे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर में मु0अ0सं0 86/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।